



दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHN/2018/76480

Postal Registration No-055/Raigarh DN CG

रायगढ़, गुरुवार 22 फरवरी 2024

पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए

वर्ष-06, अंक- 146

वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम विभाग की अनुदान मांगें पारित, प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2024-29 बनेगी

कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना पर होगा जोर, नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ का प्रावधान

कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों हेतु पृथक औद्योगिक पार्क के लिए नये बजट में 50 करोड़ का प्रावधान

कोरबा में बनेगा एल्यूमिनियम पार्क, इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर आयोजित होगा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन

प्रवासी श्रमिकों की महायत्ता के लिए पांच राज्यों में बनाए जाएंगे 'मोर चिन्हारी भवन'

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का होगा विस्तार, 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खुलेंगे

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में स्थापित किया जाएगा 100 बिस्तारों का अस्पताल

श्रमिक परिवारों के बच्चों को उत्कृष्ट निजी स्कूलों में पढ़ाने तथा स्वरोजगार हेतु श्रमिकों द्वारा लिए गए ऋण के ब्याज पर अनुदान की योजना जल्द होगी शुरु

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग तथा श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने विभागों से संबंधित 773 करोड़ 28 लाख 42 हजार रूपए की अनुदान मांगें आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा के बाद पारित कर दी गई। इनमें वाणिज्य



एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय के लिए 530 करोड़ 29 लाख 69 हजार रूपए तथा श्रम विभाग के लिए 242 करोड़ 98 लाख 73 हजार रूपए की राशि शामिल है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने अनुदान मांगों पर हुई चर्चा पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की वर्तमान औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2024 तक प्रचलन में है। राज्य की आवश्यकता के अनुरूप इसकी समीक्षा कर नई औद्योगिक नीति 2024-2029 जारी की जाएगी। नई नीति में राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज सम्पदा एवं रोजगारमूलक उद्योगों की स्थापना को दृष्टिगत रखते हुए नये उद्योगों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति के लिए सभी हितधारकों के साथ बात करके तथा अन्य राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर एक श्रेष्ठ नीति बनाएंगे, ताकि औद्योगिक विकास में तेजी आए और प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री देवांगन ने सदन में बताया कि नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 60 करोड़ रूपए, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को

प्रोत्साहित करने पृथक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ रूपए, लागत पूंजी अनुदान के लिए 200 करोड़ रूपए एवं ब्याज अनुदान के लिए 50 करोड़ रूपए का प्रावधान

में सेंट्रल इन्स्ट्रुमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 2 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री देवांगन ने सदन में कहा कि राज्य में औद्योगिक अधोसंरचना के विकास हेतु सड़क, पानी, बिजली इत्यादि के संधारण एवं नवीन परियोजनाओं के साथ ही नवा रायपुर में आईटी आधारित 'प्लग एवं प्ले' मॉडल का विकास किया जाएगा। इसके लिए अधोसंरचना विकास उन्नयन कार्य अंतर्गत 35 करोड़ रूपए प्रावधानित है। उन्होंने कहा कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इसके आयोजन के लिए प्रारंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप हब और नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप समित का भी आयोजन किया जाएगा।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा करने के लिए आगामी बजट में आरंभिक तौर पर 5 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। वन संसाधनों से परिपूर्ण बस्तर और सरगुजा संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना एवं छत्तीसगढ़ खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान के लिए 13 करोड़ रूपए की राशि प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि युवाओं में स्टार्ट-अप, इनोवेशन एवं रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर

जयते वेबपोर्टल बनाया जा रहा है। इसके लिए बजट में 2 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के लिए वर्ष 2024-25 के बजट में 505 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का व्यय प्रस्तावित है। औद्योगिक क्षेत्र के संगठित श्रमिकों के लिए छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए 6 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।

देवांगन ने सदन में बताया कि आगामी वित्तीय वर्ष में श्रमिकों के लिए संचालित शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना का विस्तार किया जाएगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को मात्र 5 रूपए में गरम भोजन, दाल, चावल, सब्जी, अचार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के तहत इकाईयां स्थापित करने एवं राज्य में एक समृद्ध नवाचार पारिस्थितिक तंत्र तैयार करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टार्ट-अप समित का भी आयोजन किया जाएगा।

श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने श्रम विभाग से जुड़ी अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में बताया कि छत्तीसगढ़ असांगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल के तहत अधिसूचित 56 प्रवर्ग के 17 लाख 54 हजार पंजीकृत असांगठित श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाओं हेतु आगामी बजट में 123 करोड़ 98 लाख रूपए से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है। अल्ट श्रम सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत असांगठित श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक स्थान में प्राप्त हो सके, इसके लिए शासन द्वारा श्रम

श्रमिक बाहुल्य क्षेत्रों तिलदा, उरला, लारा और खरसिया में नये औषधालय खोलने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत श्रमिकों को अंतः रोगी तथा विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा रायपुर और कोरबा में 100-100 बिस्तारों का चिकित्सालय बनाया गया है। भिलाई और रायगढ़ में 100-100 बिस्तारों के चिकित्सालय का काम प्रगति पर है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बिलासपुर में भी 100 बिस्तारों के अस्पताल के निर्माण की मंजूरी दी गई है।

श्रम मंत्री देवांगन ने सदन में बताया कि दूसरे राज्यों में प्रवास करने वाले छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के सहयोग एवं मांगों के लिए वहां 'मोर चिन्हारी भवन' की स्थापना की जाएगी। इसके पहले चरण में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र में जहां राज्य के श्रमिक अधिक संख्या में प्रवास करते हैं, मोर चिन्हारी भवन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को समय-समय पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान अंतर्गत 9 जिलों में 24 नये केन्द्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि नये बजट में श्रम कानूनों के क्रियान्वयन के लिए 32 करोड़ रूपए और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए 6 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। साथ ही कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत श्रमिकों के लिए 61 करोड़ रूपए प्रावधानित है।

देवांगन ने बताया कि कर्मचारी राज्य बीमा सेवाओं के अंतर्गत प्रदेश के 10 जिलों में 42 औषधालय संचालित है।

दो बेटियों को नीचे फेंक खुद भी चौथी मंजिल से कूदी महिला, मां-बेटी की मौत, एक बच्ची गंभीर

नोएडा (आरएनएस)। नोएडा के बरोला गांव में रहने वाली एक महिला ने अपनी दो बेटियों को चौथी मंजिल से फेंक दिया। इसके बाद खुद भी कूदकर आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना में महिला और उसकी एक बेटी की मौत हो गई। जबकि, दूसरी बच्ची का इलाज जारी है। मिली जानकारी के मुताबिक सरिता का पति मनोज प्रयाग अस्पताल की कैटिन में काम करता है। सुबह 9:30 बजे के आसपास मनोज घर से खाना खाकर कैटिन आ गया था। उसके बाद करीब 10 से 20 मिनट पर पड़ोसियों ने मनोज को फोन पर हादसे की जानकारी दी। घटना में सरिता और उसकी बेटी कृतिका (4 साल) की मौत हो गई है। वहीं, दिव्या (3 साल) का इलाज चल रहा है। मनोज की 7 साल की एक अन्य बेटी भी है, जो हादसे के समय स्कूल गई थी।



बताया गया कि महिला की चार बेटियां थीं, एक बेटी को उसने अपनी बड़ी बहन को दे दिया था। पुलिस के मुताबिक सेक्टर-49 थाने को सूचना मिली थी कि शिव मंदिर के पास बरोला गांव में एक महिला सरिता (32) करीब तीन साल से किराए पर रहती थी। महिला के साथ घर पर उसकी दो बेटी थीं, एक अन्य बेटी स्कूल गई थी। पड़ोसियों ने सूचना दी कि महिला अपनी दो बेटियों के साथ छत से गिर गई है। पुलिस ने महिला और दोनों बच्चियों को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल पहुंचाया। जहां महिला और बेटी कृतिका की मौत पर अतिरिक्त चौकियां और बैरिकेड्स लगाए गए हैं।

किसानों के मार्च शुरू करने की तैयारी को देखते हुए दिल्ली में सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा बुधवार को दिल्ली की ओर नियोजित मार्च के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पड़ोसी राज्यों के साथ प्रमुख सीमा प्रवेश स्थलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कानून-व्यवस्था में किसी भी संभावित व्यवधान को रोकने के लिए टिकरी, सिंधू और गाजीपुर बॉर्डर के आसपास इलाकों को हार्ड अलर्ट पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शहर की ओर किसानों के मार्च की आशंका को देखते हुए सुरक्षा कर्मियों की तैनाती बढ़ा दी है। प्रस्तावित मार्च के कारण पहले ही दिल्ली-गुरुग्राम और दिल्ली-बहादुरगढ़

को सरकारी एजेंसियों द्वारा पांच साल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर दालें, मक्का और कपास खरीदने के केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह किसानों के हित में नहीं है। यह घोषणा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह दल्लेवाल ने पंजाब-हरियाणा की पंजाब-हरियाणा की शंभू सीमा पर पटियाला जिले में एक बैठक के बाद की। तीन केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय - के एक पैनल ने रविवार को चंडीगढ़ में चौथे दौर की वार्ता के दौरान किसानों को यह प्रस्ताव दिया था।

दुबई की जेल में 18 साल बिताने के बाद स्वदेश लौटे चार कामगार, जान से मारने के आरोप में कोर्ट ने सुनाई थी 25 साल की सजा

हैदराबाद (आरएनएस)। हत्या के मामले में दुबई में 18 साल जेल में रहने के बाद तेलंगाना के पांच में से चार कामगार अपने घर लौटे आए हैं। राजन्ना सिरसिला जिला के रहने वाले वर्कर जैसे ही राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, तो उनके परिवार के लोगों ने उनकी जमकर खातिरदारी की। शिवरात्रि मल्लेश और उनके भाई शिवरात्रि रवि अपने प्रियजनों को देखकर भावुक हो गए और उन्हें गले लगा लिया। डुंडुगुला लक्ष्मण दो महीने पहले लौटे थे जबकि शिवरात्रि हनमंथु दो दिन पहले वापस आए थे। पांचवें व्यक्ति वेंकटेश के अगले महीने जेल से रिहा होने की संभावना है। नेपाल के रहने वाले चौकीदार बहादुर सिंह को जान से मारने के आरोप में दुबई की एक अदालत ने पांचों कर्मचारियों को 25 साल की जेल की सजा सुनाई थी। संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने पिछले साल सितंबर में दुबई की यात्रा के दौरान तत्कालीन राज्य मंत्री के.टी. रामाराव (केटीआर) की अपील के बाद उनकी दया याचिका को मंजूरी दे दी थी। बता दें कि केटीआर की ओर से सभी पांचों



कर्मचारियों के टिकट का प्रबंध किया गया। ये सभी दुबई की आवेर जेल में बंद थे। सिरसिला से विधायक केटीआर ने 2011 में व्यक्तिगत रूप से नेपाल जाकर मृतक के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और शरीया कानून के अनुसार मुआवजे के रूप में 15 लाख रूपये या 'दीव्या' (रक्त धन) सौंपा था। सितंबर 2023 में दुबई की अपनी पिछली यात्रा के दौरान उन्होंने यूई सरकार से दया याचिका को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। यह देखते हुए कि पांच एनआरआई पहले ही जेल में लंबा समय बिता चुके हैं और उनके पास जेल अधिकारियों से अच्छा आचरण प्रमाण पत्र भी है।

भारत-चीन के बीच नए दौर की बातचीत, पूर्वी लद्दाख में 'शांति' बनाए रखने समेत कई मुद्दों पर बनी सहमति

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में जमीन पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। चुशुल-मोल्डो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की 21वें दौर की बैठक के दौरान दोनों पक्ष इस पर राजी हुए। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने बुधवार को बताया कि बैठक सोमवार को हुई।

मंत्रालय ने कहा, पिछले दौर की चर्चाओं में भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में शांति बहाली के लिए एक आवश्यक आधार के रूप में पूर्वी लद्दाख पर एलएससी (वासुदेव सिंहा रेखा) के साथ शेष क्षेत्रों में पूरी तरह संघर्ष रोकने की मांग की गई थी। दोनों पक्षों ने अपने दृष्टिकोण साझा किए। यह बातचीत मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। दोनों पक्ष प्रासंगिक सैन्य और राजनयिक तंत्र के माध्यम से भविष्य में भी संचार बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने इस बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीन पर शांति बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्धता जताई है। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, दोनों पक्ष पश्चिमी सेक्टर में जमीन पर सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष निकट संपर्क में रहने और सैन्य तथा राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और शेष मुद्दों का जल्द से जल्द प्रासंगिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमत हुए।



महिला की शादी उसे उसकी नौकरी से बर्खास्त करने का आधार नहीं बन सकती : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। जो भी कानून महिला कर्मचारियों की शादी और उनके घरेलू कामकाज को अयोग्यता का आधार बनाता है, वह असंवैधानिक है। यह टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व स्थायी कमीशन नौकरी को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। महिला को उनकी शादी के बाद 1988 में नौकरी से निकाल दिया गया था। बाद में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने महिला को बहाल करने का फैसला दिया। इस आदेश को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'इस तरह का

पितृसत्तात्मक लड़कू इसकी गिरमा और गैर-भेदभाव के अधिकार को कम करता है।' इसके साथ ही महिला अधिकारी की तीन दशक लंबी कानूनी लड़ाई का समापन हो गया। जानकारी के अनुसार जस्टिस सजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की से सैन्य नर्सिंग सेवा की पूर्व स्थायी कमीशन नौकरी को 60 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। महिला को उनकी शादी के बाद 1988 में नौकरी से निकाल दिया गया था।

कोर्ट ने आखिर में अपने फैसले में कहा कि सैन्य नर्सिंग सेवा से जॉन को बाहर किया जाना गलत और अवैध था। कोर्ट ने कहा कि पूर्व लेफ्टिनेंट सेलिना जॉन सैन्य नर्सिंग सेवा में एक स्थायी कमीशन अधिकारी थीं। हम इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि इस आधार पर उन्हें टर्मिनेट किया जा सकता है कि उन्होंने शादी कर ली थी। यह नियम केवल महिला नर्सिंग अधिकारियों पर लागू होता था। कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस तरह का नियम स्पष्ट रूप से मनमाना था क्योंकि महिला के शादी करने के कारण सैन्य नर्सिंग सेवा में स्थायी कमीशन देने के सेवाओं से संबंधित नियम और शर्तें लिखी सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, 'इस तरह का